

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या- /V-2/60(आ0)15/2018
देहरादून : दिनांक 2 | दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर की घोषणा से सम्बन्धित सरकारी अधिसूचना संख्या-2771/V-आ0-05-149(आ0)/2002, दिनांक 26-09-2005 को अवकमित करते हुए पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अधिसूचित क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत नियंत्रक प्राधिकारी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-04 (1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। उक्त स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संबंधित मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं सचिव के रूप में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर को अग्रिम आदेशों तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या- /V-2/60(आ0)15/2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या- 1869/V-2/60(आ0)15/2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 5- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 7- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 8- अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव